माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, कर्मचारी सेवा विनियम, 2004 के तहत् परिचारक पदों की भर्ती हेतु ऑन–लाईन आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ आमन्त्रित किये जाते है।

नोट :– ऑन–लाईन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाऐं अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

1. **आवेदन प्रक्रिया** : आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाईट http://rajeduboard.nic.in पर ऑनलाईन भरे जाएंगे, जिन्हे राज्य के किसी भी ई–मित्र क्योस्क, जन सुविधा केन्द्र (CSC), साइबर कैफे अथवा इन्टरनेट युक्त किसी भी कम्प्यूटर के माध्यम से भरा जा सकता हैं। ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 05 जनवरी, 2013 से 21 जनवरी, 2013 (मध्यरात्रि) तक किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र व चालान की हार्डकॉपी प्रिन्ट करनी होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र व चालान का क्रमांक एक ही होगा। अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा का मूल बैक चालान अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर जमा करवाना होगा।

   आवेदन शुल्क : आवेदन शुल्क बैंक चालान 3 प्रतियों में मय शुल्क विवरण ऑनलाईन ही प्राप्त होगा जिस पर Validity Date कम्प्यूटर द्वारा अंकित होगी। इस तिथि तक चालान आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की राजस्थान स्थित किसी भी शाखा में दिनांक 22 जनवरी, 2013 को बैंक समय तक आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। बैंक द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात् चालान फार्म की 2 प्रतियां वापस लौटा दी जावेंगी। बैंक द्वारा चालान फार्म पर Transaction ID अंकित किया जावेंगा।

   आवेदन शुल्क निम्नानुसार हैं:–

   (क) सामान्य वर्ग के आवेदक हेतु – रूपये 500/–
   (ख) अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/अनु. जाति/अनु. जनजाति के आवेदक हेतु – रूपये 250/–
   (ग) निःशक्तजन आवेदक हेतु – रूपये 150/–

2. **परिचारक रिक्त पदों का विवरण :–**

अनारक्षितः 42		पिछड़ा वर्गः 17 (21 प्रतिशत)		अनु. जातिः 12 (16 प्रतिशत)		अनु. जन जातिः 09 (12 प्रतिशत)		विशेष पिछड़ा वर्ग	योग
कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला	01	81
42	13 (न्यूनतम) 10 अन्य, 03विधवा	17	04 (न्यूनतम) 03 अन्य 01 विधवा	12	04 (न्यूनतम) 03 अन्य 01 विधवा	09	03 (न्यूनतम)		

नोट :–

1. **आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।**
2. **जिस आरक्षित वर्ग में महिलाओं के पद आरक्षित नहीं होंगे उन्हें आयु सीमा की छूट उसी वर्ग के पुरूष को देय छूट के अनुसार ही देय होगी।**
3. उपरोक्तानुसार भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्तजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात जिस वर्ग (SC/ST/OBC/GEN) का अभ्यर्थी उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
4. **भूतपूर्व सैनिक** :– भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है, अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
5. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।
   अ. स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा जाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। पिछड़ी एवं विशेष पिछड़ी जाति की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमिलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
   ब. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है से ही भरे जायेंगे। राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य/पिछड़ा एवं विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा। राजस्थान के अन्य पिछड़ी जाति, भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
8. **निःशक्त व्यक्तियों के लिए** :–
   1. निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
   2. निःशक्तजन आवेदक ON Line Application From में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करे।

3. ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी मे आते है, अपनी निःशक्तता के संबंध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

3. **शैक्षणिक योग्यता :– मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा आठ उत्तीर्ण।**
   अधिमान्य :– ''परिचारक पद हेतु बोर्ड/राजकीय विश्वविद्यालय/राजस्थान लोक सेवा आयोग में परीक्षा अथवा गोपनीय कार्य करने के अनुभवी को प्राथमिकता दी जावेगी।''
4. **चयन प्रक्रिया** :– बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार उपरान्त की गई सिफारिश पर नियुक्ति की जायेगी।
5. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी की जाती है तो जिसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जावेगा।
6. ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–
   - परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 01 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
   - परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
   - परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो गणना नहीं की जावेगी।
7. **पेंशन** :– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार दिनांक 01.01.2004 से अंशदायी पेंशन व चिकित्सा व अन्य नियम योजना लागू होगी।
8. पद का वेतनमान रू. 4750–7440 ग्रेड पे रू. 1300/– मासिक नियमानुसार पारिश्रमिक। नियुक्ति दो वर्ष के परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियम पारिश्रमिक देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। चयनित अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा कहीं भी किसी भी कार्य के लिये लगाया जा सकता है।

9. आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र मे पति/पत्नि के नाम उल्लेख करना तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
   स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनार्थ ''दहेज'' का वही अर्थ होगा जो इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–20) में दिया गया है।

   अथवा

   शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. कोई भी पुरूष महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि सरकार इस बात से समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे दे।
11. **आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक :– अन्तिम दिनांक 21.01.2013 (मध्यरात्रि) तक (इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।)** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन लाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन लाईन आवेदन करें।
12. **साक्षात्कार का माह एवं दिनांक** :– साक्षात्कार तिथि की सूचना यथोचित कार्यवाही उपरान्त समाचार पत्रों/बोर्ड वेबसाईट के माध्यम से ही जारी की जाएगी। साक्षात्कार बोर्ड के अजमेर जिला मुख्यालय पर लिये जाने की संभावना है। साक्षात्कार दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। साक्षात्कार हेतु जिन अभ्यार्थियों का शुल्क जमा हो उन्ही पात्र अभ्यार्थियों की सूची बोर्ड वेबसाईट उपलब्ध करवाई जायेगी। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा। बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य व्यय देय नहीं होंगे।
13. **आवेदन शुल्क** :– आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार आवेदन शुल्क आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की राजस्थान स्थित किसी भी शाखा में जाकर जमा कराना होगा।
    (क) सामान्य वर्ग के आवेदक हेतु – रूपये 500/–
    (ख) अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/अनु. जाति/अनु. जनजाति के आवेदक हेतु – रूपये 250/–
    (ग) निःशक्तजन आवेदक हेतु – रूपये 150/–
14. **आयु** :– आवेदक 01 जनवरी, 2013 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो।
    परन्तुक :– राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक एफ 7/6/कार्मिक/ए–।।/2008 दिनांक 23.09.2008 के क्रम में ''जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।''
    1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के मामलें में 05 की वर्ष छूट होगी।
    2. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामलें में 10 की वर्ष छूट होगी।
    3. सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 05 वर्ष की छूट होगी।
    4. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
    5. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोतर नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
    6. भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य कार्य/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 02 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।
    7. एनसीसी कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।

8. रिलीज्ड इमरजेंन्सी कमीशण्ड आफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा में कमिशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद बोर्ड के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हो पात्र समझा जावेगा।
9. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नही होगी।
स्पष्टीकरण :– विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न महिला के मामले मे उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
10. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियम 04 के उपनियम (1) के आधीन विनिर्दिश्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगतसेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा मुें निम्नानुसार छूट देयः–
    1. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 10 वर्ष
    2. अ0पि0ज0 वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 13 वर्ष
    3. अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों के लिये 15 वर्ष
11. बोर्ड अधिवेशन दिनांक 22.12.2012 के निर्णय संख्या 04 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा रेस्पर एक्ट की अधिसूचना जारी करने की दिनांक 07.05.1999 से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर में जो कुशल/अकुशल श्रमिक दैनिक दर पर कार्यरत् थे तथा दिनांक 07.05.1999 को न्यूनतम 240 दिन अथवा इससे अधिक कार्य किया हो तथा रेस्पर एक्ट लागू होने के बाद से लगातार वर्तमान तक ठेकेदार के माध्यम से लगातार कार्यरत हो, को निर्धारित आयु सीमा में विशेष रूप से छूट देते हुए पात्र माना जायेगा। बोर्ड द्वारा यदि कोई संवीक्षा परीक्षा आयोजित की जाती है तो इन कार्मिकों को उक्त परीक्षा से मुक्त रखा जावेगा।

नोट – उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 10 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नही दिया जायेगा।

15. **नियुक्ति के लिये अयोग्यता** :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है। यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नही माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 या उसके पश्चात 02 से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–
    - परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विधमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नही होती।
    - परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझाा जायेगा।
    - परन्तु यह भी किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो ओर निःशक्त ही गणना नही की जावेगी।

16. बोर्ड अथवा किसी भी संस्थान द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
17. **आवेदन कैसे करें** :–
अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
नोट :– राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य के निम्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के (क्रीमिलेयर एवं नॉन क्रीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अनतर्गत आते है। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
18. **हार्ड कॉपी जमा कराने के संबंध में** :– आवेदकों को ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी (मूल आवेदन पत्र), परीक्षा शुल्क जमा का मूल बैंक चालान तथा संलग्नक दस्तावेज बोर्ड को नहीं भिजवाने है। आवेदक ऑन–लाईन भरे गये आवेदन पत्र व जमा कराये गये शुल्क की चालान प्रति अपने पास सुरक्षित रखे। साक्षात्कार के समय हार्ड कॉपी (मूल प्रति) मय प्रमाणित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कृपया ध्यान दें :–

1. ऑन लाईन आवेदन पत्र आवेदन भरन की अन्तिम दिनांक तक स्वीकार किये जाऐंगे। आवेदक आवेदन पत्र ऑन–लाईल भरने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्ते पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एंव पूर्ण भर दी गई है। समस्त प्रविष्ठियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अथवा ऑन लाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
2. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ–साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
3. बोर्ड कार्यालय द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑन लाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। ऑन लाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद किसी भी प्रकार के परिर्वतन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायेगा।
4. अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों को कार्यालय द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र भेजा जावेगा, आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी की वेबसाईट से विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् इसकी पात्रता आंकी जावेगी। तदुपरान्त स्पष्ट पाये गये पात्र अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जावेंगें जो अभ्यर्थी आवेदक द्वारा निश्चित की गई दिनांक तक आवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे उनका अस्थाई चयन रद्द कर दिया जावेगा।

5. **<u>आवेदकों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन बोर्ड की वेबसाईट http://www.rajeduboard.nic.in बोर्ड कार्यालय सूचना पट्ट, सभी विद्यार्थी सेवा केन्द्रों पर दिनांक 05.01.2013 से पूर्व उपलब्ध करा दिया जायेगा।</u>**

<u>विशेष टिप्पणी</u> :–

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम, 2004 के प्रावधानों अनुसार अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिये निरर्हित कर सकेगा।

(2) आवेदक जिनके ऑन लाईन आवेदन पत्र अंतिम दिनांक तक बोर्ड को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदको को बोर्ड द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। परीक्षा में केवल उसे मात्र प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं हे कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां बोर्ड द्वारा सही और ठीक मान ली गई है। बोर्ड द्वारा उम्मीदावार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचति जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व भूतपूर्व सैनिक अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी जिम्मेदारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

(3) आवेदक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम, 2004 एवं इसमें किये गये संशोधनों तथा राजस्थान सरकार के नियमानुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी प्रकार से रद्द की जा सकती है।

(4) बोर्ड द्वारा साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का गाइड बुक आदि का अनुमोदन नही किया गया है।

(5) अनुचित साधनों की रोकथाम :– अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा साक्षात्कार पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित ("Punishment for insolent behaviour/disorderly conduct/using or attempting to use unfairmeans during the course of examination") के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(6) **<u>चरित्र</u>** :– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसका उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पाई थी, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा साथ ही दो ऐसे प्रमाण पत्र, जो उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से छः माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिये जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या विद्यालय से संबंधित न हो और न उसके रिश्तेदार हो।

(7) **<u>शारीरिक योग्यता</u>** :– सेवा में सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें किसर प्रकार का ऐसा कोई मानसिक या शारीरिक कमी नहीं होना चाहिये जो उसके सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने मे बाधक हो और यदि वह चुन लिया जावे तो उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा, जो पदोन्नति के नियमित क्रम में पदोन्नत हुआ हो या बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में पहले से ही सेवारत् हो और पूर्व नियुक्ति के समय उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही की जा चुकी हो और उसके मापदण्ड नए पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से एक समान है और आयु के कारण उसकी तत्प्रयोजनार्थ कार्यदक्षता में कोई कर्मी नहीं आई है।

19. **<u>बोर्ड की वेबसाइट</u>** :– उम्मीदवार बोर्ड को वेब साइट http://www.rajeduboard.nic.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
समस्त पत्र व्यवहार सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को सम्बोधित किया जाये।

(एम. आर. शर्मा)
सचिव